

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग लालबाग, लखनऊ
संख्या 799/यू.पी. रेरा/कार्यालय ज्ञाप (टी.ए.)/2018-19 दिनांक 25 अप्रैल, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

भू-सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-4(2)(I)(d) में यह व्यवस्था है कि संप्रवर्तक द्वारा आवंटियों से भू-सम्पदा परियोजना के लिए समय-समय पर वसूल की गयी धनराशि का 70% निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिए किसी अनुसूचित बैंक में रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा किया जाएगा और उसका उपयोग मात्र उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा:

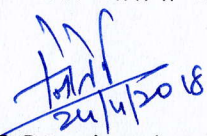
परन्तु यह और कि संप्रवर्तक द्वारा पृथक खाते से रकम किसी इंजीनियर, वास्तुविद और व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा यह प्रमाणित कर दिए जाने के पश्चात निकाली जाएगी कि रकम को परियोजना के पूरा होने की प्रतिशतता के अनुपात में निकाला गया है,

परन्तु यह भी कि संप्रवर्तक अपने खातों की, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् छह मास के भीतर, व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से लेखा परीक्षा कराएगा तथा ऐसे चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित तथा हस्ताक्षरित लेखाओं का एक विवरण प्रस्तुत करेगा तथा उसका लेखा परीक्षा के दौरान यह सत्यापन किया जाएगा कि किसी विशिष्ट परियोजना के लिए संगृहीत रकमों का उस परियोजना के लिए उपयोग किया जा चुका है और निकाली गई रकम परियोजना के पूरा होने की प्रतिशतता के अनुपात के अनुपालन में है।

2. अधिनियम की उपरोक्त व्यवस्था के लिए उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इंजीनियर एवं आर्कीटेक्ट प्रमाण-पत्रों के प्रारूपों को निर्धारित कर दिया गया है। निर्धारित प्रारूप रेरा की वेबसाइट www.up-rera.in पर उपलब्ध हैं।

3. संप्रवर्तक द्वारा प्रत्येक आन-गोईंग परियोजना के रजिस्ट्रेशन पृष्ठ पर भी उपरोक्त उल्लिखित प्रमाण-पत्रों को अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

4. समस्त संप्रवर्तकों द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्राविधानों के अनुरूप सम्बन्धित परियोजना के लिए निर्धारित खाते से धनराशि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इंजीनियर एवं आर्कीटेक्ट द्वारा सत्यापन उपरांत ही सम्पन्न कार्य की प्रतिशतता के अनुरूप धनराशि आहरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार संप्रवर्तक के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य है।


(नितिन रमेश गोकर्णी)

अध्यक्ष, रेरा/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन

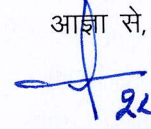
संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, संस्थागत वित्त को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त कार्यालय-ज्ञाप के अनुपालन हेतु प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंकों को अपने स्तर से निर्देश प्रसारित कराने का कष्ट करें।

2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु को इस अनुरोध के साथ कि आवास बन्धु की वेबसाइट पर भी उक्त कार्यालय झाप अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोमोटर्स को पेंजीकृत ई-मेल आईडी के द्वारा अनुपालनार्थ।
5. अध्यक्ष तथा महामन्त्री, केडाई, उ.प्र.।
6. सहायक निदेशक (सिस्टम्स) रेरा को रेरा की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

आज्ञा से,


24/4/18
(अबरार अहमद)
सचिव रेरा

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग लालबाग, लखनऊ

संख्या 800/यू.पी. रेरा/कार्यालय ज्ञाप (टी.ए.)/2018-19 दिनांक 25 अप्रैल, 2018
सेवा में,

- | | |
|--|---|
| 1. प्रमुख सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास,
उत्तर प्रदेश शासन। | 2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना
एक्सप्रेस-वे अथारिटी |
| 3. प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट
कार्पोरेशन | 4. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उ.प्र. |

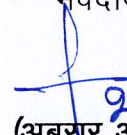
विषय: चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, इन्जीनियर एवं आर्कीटेक्ट के प्रमाण-पत्रों के प्रारूपों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पत्र संख्या: 799/यू.पी.रेरा/कार्यालय-ज्ञाप (टी.ए.)/2018-19, दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा भू-सम्पदा (नियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 4(2) में उल्लिखित व्यवस्था के क्रम में ऑन-गोईंग परियोजनाओं के लिए आवश्यक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, इन्जीनियर, एवं आर्कीटेक्ट के प्रमाण-पत्र के प्रारूप निर्धारित करते हुए यू.पी. रेरा की वेबसाइट www.up-rera.in पर अपलोड कर दिये गये हैं।

उक्त कार्यालय-ज्ञाप, दिनांक: 25 अप्रैल, 2018 की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप का अपने स्तर से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

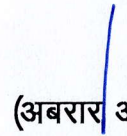
भवदीय,


(अबरार अहमद)

सचिव रेरा

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष रेरा को अवलोकनार्थ।


(अबरार अहमद)

सचिव रेरा